INDIAN PANORAMA 2017
REGULATIONS

1. **SHORT TITLE**

These Regulations may be called the Indian Panorama - 2017 Regulations and shall come into force with immediate effect.

2. **DEFINITIONS**

In these Regulations, unless the context otherwise refers,

(a) "Board" means the Central Board of Film Certification.
(b) "Directorate" means the Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting.
(c) "Indian Panorama" is a Section of the International Film Festival of India. "Indian Panorama" means the group of films selected in terms of the provisions given in these Regulations for participation in National and International Film Festivals.

(d) "Producer" is one who produces a film and also has the copy right of the film and can supply/authorize supply of digital copies/cinematographic prints from the laboratory for Jury or other screenings at Film Festival(s) of the selected films and may include an individual or a company or an Institute or any other such entity and shall include a co-producer also.

3. **AIMS AND OBJECTIVES**

The aim of the Indian Panorama, organised by the Directorate is to select feature and non-feature films of cinematic, thematic and aesthetic excellence, for the promotion of film art through the non-profit screening of these films in:

(1) International Film Festivals in India and abroad
(2) Indian Film Weeks held under Bilateral Cultural Exchange Programmes and Specialized Indian Film Festivals outside cultural exchange protocols.
(3) Special Indian Panorama Festivals in India

4. **SECTIONS**

The Indian Panorama will have the following sections:-
(1) Feature films, and
(2) Non-feature films

5. **INDIAN PANORAMA**

A maximum of 26 Feature films and 21 Non-Feature films (including the Best Feature and Best Non-Feature films from 64th National Film Awards, 2016), distinguished by cinematic, thematic and aesthetic excellence selected in accordance with the conditions and procedure laid down below will feature in the Indian Panorama.

6. **ELIGIBILITY CONDITIONS**

The following conditions must be fulfilled by all entries:

6.1 The film should be in any Indian language. The Phrase 'any Indian language' would mean all official languages of the State/Union Territories of the Indian Union, all other Indian languages included in Schedule VIII of the Constitution of India and such other languages and dialects that may be permitted by the Government of India from time to time.

6.1.1 Silent Films will also be eligible.

6.2 The film should have been produced in India. In the case of co-productions involving a foreign entity, the following conditions should be fulfilled:

6.2.1 At least one of the co-producers must be an Indian entity.
6.2.2 The Indian entity should be registered in India or a citizen of India
6.2.3 The title of the film should be registered as an Indian film title.
6.2.4 The Director should be an Indian national and the cast and technicians should be predominantly Indian nationals. However, non-feature films directed by the foreign students of Film Institutes situated in India will be eligible if their entries are sent through their respective Institutes.
6.2.5 The negative should be available with the right holder in India to strike prints.
6.2.6 The applicant i.e. producer(s)/right holder(s) should have the right for sanctioning participation of the film in festivals in India and abroad as an Indian entry as well as special expositions of Indian cinema organised by the DFF.

6.3 The completion year of production of the films should be during the last 12 months preceding the festival i.e. 1st September 2016 to 31st July 2017. The applicant should submit a declaration stating the date of completion year of production in the format as mentioned at clause number 7.2 (c) I, ii, iii. Films certified by CBFC during the period 1st September 2016 to 31st July 2017 are also eligible.

Note: (1) If the film (Feature or Non-Feature) has been selected/ screened in any Indian/international selection of a festival, it will be eligible for entry in Indian Panorama section in the same year only.

(2) If a film selected for Indian Panorama is not certified by CBFC, DFF would take necessary action for seeking exemption as per Cinematography act, 1952 for the festival screenings.

6.4 Films made in any Indian language shot on 35 mm or in a wider gauge or digital/video format and as a feature film or fiction above 70 min duration, are eligible for the Feature Film Section.

6.5 Films made in any Indian language shot on 35 mm or in a wider gauge or digital/video format and as a Documentary/News reel/non-fiction/short fiction are eligible for the Non-Feature Film Section.

6.6 The question whether a film is a feature film or non-feature film will be decided on the basis of such categorization mentioned in the entry form and declaration submitted by the applicant.

6.7 ALL FILMS MUST CARRY ENGLISH SUBTITLES.

6.8 For Mainstream Cinema Selection, The Film Federation of India and the Film and Television Producers Guild of India Ltd. should evaluate by their own jury and submit five films each based on popular appeal and box office receipts to be included in Indian Panorama. An internal committee of Directorate of Film Festivals will preview the films and decide on the final package of five films to be screened as part of Indian Panorama.

The films should be submitted in the prescribed entry form and format as per the regulations, within the given deadline for submission of films i.e. 7th August, 2017 for submission of on-line application form and 14th August, 2017 for receipt of the stamped and signed hard copy of the submitted online application form along with the requisite material.

6.9 a) A maximum of five entries would be allowed from individuals, producers, Production Units, Government organizations, companies.

b) A maximum of ten student films would be allowed from film and media institutions. Entries from film and media institutions will be accepted with the condition that the film entered is the final year Documentary / Diploma films of the students'. The entry should be duly certified by the Institute that the film is independent work of the student.

6.10 Disqualification**:**

(a) In case of programmes originally made for television, entries sent in telecast format with commercial breaks, advertisements, channel logos/IDs etc.

(b) Entries with captions such as 'preview copy', organizational logos etc. However, if the screening copy bears the captions, it should be so faint as not to disturb the viewing experience.

(c) Dubbed/ Revised/ Remake/ Re-edited version of an Indian Film which was submitted earlier for the Indian Panorama, will not be eligible. All films must be presented in their original version/language.

(d) Films NOT subtitled in English. (Filmmakers may please ensure that sub-titles are clear and readable. Subtitles should not merge with visuals/background. It would help jury understand the right context and help evaluate the film better. All spoken words should be sub-titled).

(e) Entries received in sub-standard quality of **35mm Print/ DCP (Unencrypted, DCI Compliant – J2K, Interop or SMPTE DCP-Note: J2K, Interop DCP to be only in 24 fps)/ Bluray (region free PAL) or DV Cam.**

(f) An applicant would be disqualified automatically for consideration of his/her entry if it is found that he /she is influencing any member of the jury in and the decision of Secretary, Ministry of Information and Broadcasting in this regard would be final and binding.

(g) Any Indian Film Shown in any Indian or international Film Festival more than one year preceding IFFI, the film will be considered to be ineligible.

(h) If any of the declaration submitted by the applicants are found to be factually false or incorrect, Directorate of Film Festivals reserves the rights to reject the entry or even cancel the selection of the film after the final results/announcements. In such cases, where the false or incorrect declarations are found, the applicant would be barred for a period of three years to participate in any activities organized by the Directorate.

7. **PROCEDURE FOR ENTERING FILMS**

7.1 The producer(s) may apply on the prescribed entry form Form IP-I along with Forms IP-II, III. The online entry form and regulations of Indian Panorama 2017 are available on the following websites: www.dff.nic.in and www.iffi.nic.in

7.2 Each entry form shall be accompanied by the material detailed below (soft copy of the same to be sent to entry4panorama.dff@gov.in):

(a) Acceptable formats for feature films are 35mm Print/DCP (Unencrypted, DCI Compliant – J2K, Interop or SMPTE DCP-Note: J2K, Interop DCP to be only in 24 fps)/ Bluray (region free PAL) along with two DVD copies. Acceptable formats for non-feature films are 35mm Print/DCP (Unencrypted, DCI Compliant – J2K, Interop or SMPTE DCP-Note: J2K, Interop DCP to be only in 24 fps)/ Bluray (region free PAL) or DV Cam along with two DVD copies.

(b) Synopsis (precise and not exceeding two hundred words) of the film, Director & Producer's profile, Director's note in English and details of cast and crew (Soft copy of the same to be emailed to entry4panorama.dff@gov.in).

Also, the following should be sent separately by e-mail to entry4panorama.dff@gov.in

1. Film Stills (5nos) (200-300 dpi).
2. Director's working stills (2 nos) (200-300 dpi).
3. Producer's stills or Logo (200-300 dpi).
4. Posters.

(c) (i) A declaration shall be furnished by the applicant, declaring that the information furnished in the entry form and other forms submitted is true to the best of his/her knowledge, that the 35mm Print/DCP (DCI Compliant-J2K)/Bluray (region free PAL) of the Feature Film or 35mm Print/DCP (DCI Compliant-J2K)/Bluray (region free PAL) or DV Cam of the Non-Feature Film being submitted as required under clause 7.2 (a).

(ii) It is also certified that the film is not a dubbed/revised/remake/ re-edited version of any film and has not been submitted earlier.

(iii) The completion year of production of the film is during the 12 months preceding the festival i.e. 1st September 2016 to 31st July 2017 and has not been screened in any Indian or international film festival before that period.

(iv) The film is a Feature or Non- Feature Film (as per the clauses 6.4, 6.5 & 6.6 of Indian Panorama).

(d) In case the film is finally selected by the Jury**,** the following should be submitted immediately.

1. One DCP (DCI Compliant-J2K)/Bluray (region free PAL) copy and Two DVD copies of the Feature Film or One DCP (DCI Compliant-J2K)/Bluray (region free PAL) or DV Cam and Two DVD copies of the Non- Feature Film
2. Three '3x2' posters of the film.
3. A 3 minute promo/trailer (one Bluray & two DVDs).
4. Dialogue Sheets/sub-titles file with time code

7.3 A non-refundable entry fee of Rs. 10,000/- for Feature films and Rs. 3,000/- for Non-Feature films must be remitted online at the time of online entry form submission.

7.4 The last date for submission of On- Line applications is 7th August, 2017 and the last date for receipt of the stamped and signed hard copy of the submitted online application form along with the requisite material is 14th August, 2017. In case 14th August, 2017 is declared a holiday, the next working day will be treated as the last date for receipt of Entries. Applications received after the last date may be rejected without any reference to the applicant. **(Note : Both the versions (Online and Hard Copy) of application forms submitted by the applicants should be same).**

7.5 All entries must be sent to the following address:

Indian Panorama, 2017
Directorate of Film Festivals
Ministry of Information and Broadcasting,
Siri Fort Auditorium Complex, August Kranti Marg, Khel Gaon,
New Delhi – 110 049 Tele. 011- 26499386
Fax: 011-26497214
E mail: **entry4panorama.dff@gov.in**

(All prints and materials should be clearly labeled with "Indian Panorama, 2017", on their packages)

7.6 Film can be submitted in any of the three formats i.e. 35mm Print/ DCP (Unencrypted, DCI Compliant – J2K, Interop or SMPTE DCP-Note: J2K, Interop DCP to be only in 24 fps)/ Bluray (region free PAL) for Feature Film and any of the four formats i.e. 35mm Print/ DCP (Unencrypted, DCI Compliant – J2K, Interop or SMPTE DCP-Note: J2K, Interop DCP to be only in 24 fps)/ Bluray (region free PAL) or DV Cam for Non-

Feature Film.. **ENTRIES OF FILMS MUST CARRY ENGLISH SUBTITLES.** Please label the cover of the 35mm Print/DCP/Bluray or DV Cam with the following details:

- Title of the film
- The full name of the Director
- The full name of the Producer
- Duration of the film
- Aspect Ratio of the film
- Original language of the film

7.7 All cost for sending the 35mm Print/DCP (Unencrypted, DCI Compliant – J2K, Interop or SMPTE DCP- Note: J2K, Interop DCP to be only in 24 fps)/ Bluray (region free PAL) or Dv Cam and accompanying material to the Directorate shall be borne by the person entering the film/s.

7.8 In case any of the requirements mentioned in this part of the Regulations are not complied with by the applicant, the entry is liable to be rejected summarily.

8. **SELECTION OF INDIAN PANORAMA**

8.1 The Indian Panorama will be selected by two duly constituted juries, one for Feature films and the other for Non-Feature films. Adequate representation will be made from the major regional production centers to serve on the juries. The Juries for selection shall comprise 13 members (including the Chairperson) for Feature films and 7 members (including the Chairperson) for Non-Feature films.

8.2 The Chairperson of the Feature Film Jury may constitute a maximum of four panels from amongst the members of the jury. The Chairperson of the Non-Feature Film Jury may constitute a maximum of two panels from amongst the members of the jury. Each panel will recommend not more than 33% of the films viewed by it for combined viewing by the full jury. The Juries will determine their own work process.

8.3 A person will be ineligible to serve on a Jury ONLY if his own film is an entry. In the event of his / her close relative being associated with the particular film, the Jury member shall recuse himself/herself from the preview of the film.

8.3.1 A person appointed as Chairperson or member of the jury shall make the declaration in writing in the form given in Form IP-IV annexed to these Regulations.

8.4 The Festival Director, IFFI and/or his/her nominee may attend the deliberations of the panels and provide information/clarifications, required by the panels regarding the entries. They shall however neither participate in the deliberations nor vote.

8.5 The decision of the juries shall be final and binding and no appeal or correspondence regarding their decision shall be entertained.

8.6 The films selected for the 64th National Film Awards 2016 for the Best Feature Films and Best non-Feature Film will also be included in the Indian Panorama notwithstanding the provisions contained in the Clause 6.3 of these Regulations.

9. ACQUISITION OF PRINTS OF FILMS SELECTED FOR THE INDIAN PANORAMA

9.1 In case a film is selected for the Indian Panorama, the Directorate will have the right to buy, on behalf of the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, one or more prints thereof, at a cost not exceeding the actual price of the raw material and processing charges.

9.2 The Directorate shall have the right to get the print subtitled in English or/and in other languages.

9.3 The Directorate shall have the right to strike foreign language subtitled prints as per programming requirements, for non-commercial use. The Directorate shall have the right to make one 35mm print/DCP/DV

Cam and copies of DVDs/Blurays from the 35mm print/DCP or DV Cam entries of the film selected under Indian Panorama, 2017 for non-commercial screenings as specified under clause 11.2 of the Regulations for Indian Panorama, 2017.

9.4 The Directorate shall have the right to replace the existing prints, subtitled or otherwise, once it is certified as damaged.

9.5 In the case of a film selected for the Indian Panorama, all the material referred to in Regulations 7.2 shall be kept by the Directorate for use as and when necessary. The producer shall also supply, on request of the Directorate, additional publicity material to the Directorate to facilitate the participation of the film in various festivals as detailed in Regulation.

9.6 The authorization in form IP-II shall be made use of by the National Film Archives of India, Pune for preservation and archival purposes. The authorization in forms IP-III shall be made use of by the Directorate for the purposes and manner mentioned in Regulation 11, only in case a film is selected for the Indian Panorama.

9.7 It will be the duty of the concerned producer/right holders to ensure the implementation of all Sub-Clauses of clause 9, even if the producer/right holder sell the distribution rights to some other company after the film selected in the Indian Panorama.

9.8 Selected films (feature and non-feature) will be given a Certificate during the IFFI in Goa. The names of the director and producer will be credited as declared in the application form. No request for change of the names would be entertained at any stage.

10. RETURN OF 35 MM PRINT/ DCP / BLURAY OR DV CAM.

35mm Print/ DCP/ Bluray or DV Cam of films not selected will be returned to the producers shortly after the final meeting of the Selection Panel. The Directorate shall bear the cost of returning the 35mm Print/DCP/Bluray or DV Cam to the address of the sender.

11. USE OF INDIAN PANORAMA FILMS

11.1 The Indian Panorama films will initially be screened at the Indian Panorama Section of the International Film Festival of India, provided that no claim of any kind would lie against the Directorate for their inability to show a film due to technical or any other reasons.

11.2 Out of the films selected for Indian Panorama, two films will be nominated for the Competition Section of 48th International Film Festival of India. The Indian Panorama films will be used for participation in various international film festivals, film weeks, Indian Panorama festivals and other non-commercial screenings, within the country and abroad at the discretion of Directorate of Film Festivals and the Ministry of Information and Broadcasting. For all such screenings, the producer will not be eligible for any payment. He/She will however, be kept informed of such screenings.

11.3 Debut film(s) of a Director selected for Indian Panorama 2017 will also be considered for the Centenary Award for the Best Debut Film of a Director proposed to be given in the 48th International Film Festival of India. The award carries Rs 10,00,000/- and a silver peacock.

11.4 The prints purchased by the National Film Development Corporation under these Regulations will be utilized for organizing Indian Panorama Festivals and will not be utilized for any commercial purposes. The Indian Panorama Festivals will be organized by the Directorate of Film Festivals and National Film Development Corporation in accordance with the guidelines prescribed by the Government of India.

11.5 Exemption from CBFC certification for the selected films in Indian Panorama (feature and non-feature) will be obtained from the Ministry of Information and Broadcasting for screening in IFFI, in case of films not certified by CBFC.

12**. ARBITRATION**

Should any dispute or difference arises between the Producer and the Directorate, the same shall be referred to the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, whose decision in the matter shall be final and binding on both the parties. The Arbitration Clause will not apply on the decision of Juries, which will be final and binding on both the Directorate of Film Festivals and the applicant for Indian Panorama.

FORM I.P.-II

AUTHORISATION LETTER FOR NATIONAL FILM ARCHIVES OF INDIA
(See Regulation 9.7)

Authorization letter (to be signed by the producer and negative right holder and addressed to the laboratory concerned).

From: Name(s) and address(s) of Producer(s) and right holders (s).

To: Name and address of Laboratory.

Sub: Title of film:

Sir,

We hereby authorize you to prepare one 35 mm positive print in colour or black & white/DCP/Bluray or DV cam of the above film and deliver it to the National Film Archive of India (NFAI), Pune, for permanent preservation and archival use.

The necessary raw stock required for copying the print will be supplied by the National Film Archive of India, Pune, who will also settle the processing charges directly with the laboratory.

The print/DCP/Bluray or DV cam may be delivered to NFAI, Pune under intimation to us.

(Signature)
Right Holder(s)
Seal
Date

(Signature)
Authorized signatory(s) from the Production
Seal
Date

INDIAN PANORAMA 2017

FORM I.P. III

AUTHORISATION LETTER FOR
DIRECTORATE OF FILM FESTIVALS

Authorization letter (to be signed by the producer and negative right holder and addressed to the laboratory concerned).

From: Name(s) and address(s) of Producer(s) and right holders (s).

To: Name and address of Laboratory.

Sub: Title of film:

Sir,

We hereby authorize you to prepare 35 mm positive print in colour or black & white / DCP/Bluray or DV Cam copy of the above film and deliver it to the Directorate of Film Festivals (DFF), New Delhi. The print/DCP/Bluray or DV Cam shall be used by the Directorate for participation in film festivals, film weeks and other non-commercial screenings in India and abroad.

The bill for necessary raw stock and processing charges for copying the print/DCP/Bluray or DV Cam will be settled by the Directorate of Film Festivals, directly with the laboratory.

(Signature)
Right Holder(s)
Seal
Date

(Signature)
Authorized signatory(s) from the Production
Seal
Date

Copy forwarded to the Director, Directorate of Film Festivals, Ministry of Information & Broadcasting, Siri Fort Auditorium Complex, August Kranti Marg, New Delhi-110 049.

(Signature)
Right Holder(s)
Seal
Date

(Signature)
Authorized signatory(s) from the Production
Seal
Date

INDIAN PANORAMA 2017

FORM I.P. IV

DECLARATION
(To be filled in only by the Jury Members)

I hereby declare that :

1. **I have seen the complete list of entries of the Indian Panorama - 2017 made available to me by Directorate of Film Festivals. To the best of my knowledge I am not directly or indirectly associated in any manner nor do I have any financial interest with any of these entries**.

2. I understand and agree I will be ineligible to serve on this jury in case my own film is an entry.

3. I also understand that in the event of my close relative by blood **(sons, daughters, maternal/paternal uncles/aunts, first cousins, nephews, nieces, grand mothers, grand fathers, parents, brothers, sisters)** or marriage is associated with a particular film (either in person or financially), I will declare the same in writing before the jury screenings begin, and recuse myself from the preview of the film. I also agree that in the event this film is put to vote for selection, my vote shall not be counted.

4. I have gone through the Regulations for Indian Panorama - 2017 and I will abide by them.

5. **I will keep the deliberations of the jury confidential.** I am aware that in case of any violation of the confidentiality clause by me, I would be debarred for life from becoming a jury member in National Film Awards, Indian Panorama and International Film Festival of India.

New Delhi

Dated

Signature ______________________

Name & Address______________________________

____

Telephone: (M) _______________(O) ___________

Email : _______________________________________

Indian Panorama 2017

Check list for entries (Feature & Non-Feature)

1. Entry Form (two copies)
2. Entry fee to be submitted online (Rs 10,000/- for Feature Films & Rs 3000/- for Non-Feature Films)
3. Authorization Letter for DFF (Form IP-II) & NFAI DFF (Form IP-III)
4. Declaration as per clause 7.2 (c)
5. CBFC certificate /Declaration 7.2(C) as per the Indian Panorama eligibility clause 6.3
6. Print / DCP/Bluray/ DV Cam (ALL FILMS MUST CARRY ENGLISH SUBTITLES)
7. Synopsis in English (not exceeding 200 words) (Hard copy as well as by e-mail to **entry4panorama.dff@gov.in)**
8. Director's Profile & note, Producer's Profile, Details of Cast & Crew (Hard copy as well as by e-mail to **entry4panorama.dff@gov.in)**
9. Film stills (5 nos.), Director's working stills (2 nos.) 300 dpi - to be sent only by e-mail to **entry4panorama.dff@gov.in**

भारतीय पैनोरामा 2017
विनियम

1. लघु शीर्षक :

इन विनियमों को भारतीय पैनोरामा –2017 विनियम कहा जाएगा और ये तत्काल प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "बोर्ड" से केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "निदेशालय" से सूचना और प्रसारण के अधीन फ़िल्म समारोह निदेशालय अभिप्रेत है;

(ग) "भारतीय पैनोरामा " भारत के अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों का एक वर्ग है । 'भारतीय पैनोरामा ' का अर्थ है फ़िल्मों का वह समूह जिसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में शामिल करने हेतु इन विनियमों में उपबंधों के अनुरूप चुना गया हो ।

(घ) "निर्माता" से अभिप्राय, जिसने फ़िल्म का निर्माण किया हो, जो फ़िल्म का सर्वाधिकार /कॉपीराइट धारक हो तथा निर्णायक मंडल अथवा चयनित फ़िल्मों को अन्य फ़िल्म समारोहों में प्रदर्शन के लिए प्रयोगशाला से फ़िल्मों की डिज़िटल/सिनेमैटिक प्रतियों की प्राधिकृत आपूर्ति/आपूर्ति में करा सके। जिसनें वैयक्तिक निर्माता, निर्माण कंपनी, संस्थान या एसी ही कोई अन्य इकाई शामिल हो सकते हैं। इनमें सह–निर्माता भी साम्मिलित हो सकते हैं।

3. उद्देश्य और लक्ष्य :

भारतीय पैनोरामा विनियमों का उद्देश्य सिनेमैटिक, विषयात्मक और सौन्दर्यात्मक उत्कृष्टता की फ़ीचर और गैर–फ़ीचर फ़िल्मों का निम्नलिखित गैर–लाभकारी प्रदर्शन के माध्यम से फ़िल्म कला को बढ़ावा देने के लिए चयन करना है :–

(1) भारत और विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह

(2) द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत आयोजित भारतीय फ़िल्म सप्ताह और सांस्कृतिक आदान–प्रदान प्रोटोकॉल से बाहर के विभिन्न भारतीय फ़िल्म समारोह ।

(3) भारत में विशेष भारतीय पैनोरामा समारोह ।

4. वर्ग

भारतीय पैनोरामा में निम्नलिखित वर्ग होंगे :–

(1) फ़ीचर फ़िल्में, और

(2) गैर–फ़ीचर फ़िल्में

5. भारतीय पैनोरामा

निम्नांकित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार चयनित चलचित्रगत, विषयक तथा सौन्दर्यगत श्रेष्ठता वाली अधिकतम 26 फ़ीचर फ़िल्मों तथा 21 गैर–फ़ीचर फ़िल्मों (64वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, 2016 की सर्वोत्तम फ़ीचर और सर्वोत्तम गैर–फ़ीचर फ़िल्मों सहित) को भारतीय पैनोरामा के अंतर्गत दिखाया जाएगा ।

6. पात्रता शर्तें

प्रत्येक प्रविष्टि निम्नांकित शर्तों पर खरी उतरनी चाहिए :

6.1 फ़िल्म किसी भारतीय भाषा में हो । 'किसी भी भारतीय भाषा' से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा समय–समय पर भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य भाषाएं एवं बोलियां अभिप्रेत हैं ।

6.1.1 मूक फ़िल्में भी पात्र होंगी ।

6.2 फ़िल्म भारत में निर्मित हो । यदि किसी विदेशी निर्माता के साथ मिलकर निर्माण किया गया हो, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी चाहिए :–

6.2.1 सह–निर्माताओं में से कम से कम एक भारतीय हो ।

6.2.2 भारतीय निर्माता भारत में पंजीकृत हो या भारत का नागरिक हो ।

6.2.3 फ़िल्म का शीर्षक भारतीय फ़िल्म शीर्षक के रूप में पंजीकृत हो ।

6.2.4 निर्देशक एक भारतीय नागरिक हो और उससे जुड़े कलाकार तथा तकनीशियन मूलतः भारतीय हों । किन्तु, भारत में स्थित फ़िल्म संस्थानों के ऐसे विदेशी छात्रों द्वारा निर्देशित गैर–फ़ीचर फ़िल्में भी पात्र होंगी, यदि उनकी प्रविष्टियां संबंधित संस्थानों द्वारा भेजी जाएं ।

6.2.5 प्रिन्ट बनाने हेतु उसके निगेटिव भारत में अधिकार प्राप्तकर्ता (राइट होल्डर) के पास उपलब्ध हों ।

6.2.6 भारत और विदेश में होने वाले फ़िल्म महोत्सवों में भारतीय प्रविष्टि के रूप में तथा फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित भारतीय सिनेमा की विशिष्ट प्रदर्शनी में फ़िल्म को शामिल करने हेतु संस्वीकृत करने का अधिकार आवेदक के पास हो ।

6.3 फ़िल्म का निर्माण समारोह से 12 महीने पूर्ववर्ती अर्थात् 1 सितंबर, 2016 से 31 जुलाई, 2017 के दौरान पूर्ण हुआ होना चाहिए। आवेदक को फ़िल्म निर्माण समापन की तारीख का उल्लेख करते हुए एक घोषणापत्र, धारा 7.2(ग) i, ii, iii में, उल्लेखित प्रारुप में, जमा कराना होगा। 1 सितंबर 2016 से 31 जुलाई, 2017 तक की अवधि के दौरान केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फ़िल्में भी पात्र हैं।

नोट :

(1) यदि कोई फ़िल्म (फ़ीचर या गैर–फ़ीचर) किसी भी भारतीय / अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में चयनित / प्रदर्शित की गई है, तो वह फ़िल्म भारतीय पैनोरामा वर्ग में केवल उसी वर्ष में प्रवेश की पात्र होगी।

(2) यदि भारतीय पैनोरामा के लिए चयनित कोई फ़िल्म केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं है, तो निदेशालय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

6.4 किसी भी भारतीय भाषा में 35 मिमी या बड़े गेज या डिजिटल / वीडियो प्रारूप में 70 मिनट से अधिक अवधि की फ़ीचर फ़िल्म या काल्पनिक कहानी के रूप में बनी फ़िल्म, फ़ीचर फ़िल्म वर्ग की पात्र हैं।

6.5 किसी भी भारतीय भाषा में 35 मिमी या बड़े गेज या डिजिटल / वीडियो प्रारूप की डॉक्यूमेंट्री / न्यूज रील / नॉन फ़िक्शन / शॉर्ट फ़िक्शन फ़िल्म गैर–फ़ीचर फ़िल्म वर्ग की पात्र हैं।

6.6 कोई फ़िल्म फ़ीचर है अथवा गैर फ़ीचर इसका निर्णय आवेदक द्वारा जमा किए गए प्रविष्टि पर एवं घोषणापत्र के आधार पर किया जाएगा।

6.7 सभी फ़िल्मों में अंग्रेजी उप–शीर्षक अनिवार्य है ।

6.8 मुख्यधारा सिनेमा वर्ग के चयन के लिए, भारतीय फ़िल्म फ़ेडरेशन और फ़िल्म एवं टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया लि. अपने स्वयं के निर्णायक मंडल द्वारा मूल्यांकित, लोकप्रियता एवं बॉक्स ऑफिस सफलता के आधार पर पांच फ़िल्मों की सूची देंगे। फ़िल्म समारोह निदेशालय की एक आंतरिक कमेटी फ़िल्मों का पूर्वावलोकन करेगी और भारतीय पैनोरामा के अंतर्गत प्रदर्शित करने के लिए पांच फ़िल्मों का चयन करेगी।

फ़िल्में विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रविष्टि पत्र एवं प्रारूप में फ़िल्में जमा कराने की अंतिम तिथि तक जमा करानी होंगीं। ऑनलाइन प्रविष्टि पत्र जमा करने की अंतिम तिथी 7 अगस्त, 2017 और जमा कराए हुए ऑनलाइन प्रविष्टि पत्र की प्रत्यक्ष प्रतिलिपि अपेक्षित सामग्री के साथ की प्राप्ति की अंतिम तिथी 14 अगस्त, 2017 है।

6.9अ. वैयक्तियों / निर्माताओं / निर्माता इकाइयों / सरकारी संस्थानों / कम्पनियों को अधिकतम **पांच** प्रविष्टियां भेजने की अनुमति है ।

ब. फ़िल्म एवं मीडिया संस्थानों को छात्रों की अधिकतम **दस** प्रविष्टियां भेजने की अनुमति है ।फ़िल्म एवं मीडिया संस्थानों की प्रविष्टि इस आधार पर स्वीकार की जायेगी कि वह फ़िल्म गैर–फ़ीचर/डिप्लोमा के अंतिम वर्ष के छात्र की हो तथा विधिवत रुप से यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह इस संस्थान के छात्र की स्वतंत्र रुप से बनाई फ़िल्म हो।

6.10 **अपात्रता**

प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित पात्र नहीं होंगे –

क. मूल रूप से टेलिविजन के लिए निर्मित कार्यक्रम एवं टेलिकास्ट प्रारूप में वाणिज्यिक ब्रेक्स, विज्ञापनों, चैनल लोगो/आई डी इत्यादि से युक्त भेजी गई प्रविष्टियां ।

ख. प्रविष्टियों पर प्रिव्यू कॉपी, विभागीय लोगो इत्यादि शीर्षक अंकित होना । यद्यपि, यदि स्क्रीनिंग कॉपी पर शीर्षक अंकित है तो वह बहुत धुंधला या अस्पष्ट न हो जिससे कि उन्हें देखने में परेशानी पैदा हो ।

ग. डब की गई फ़िल्में/संशोधित रुपांतर/भारतीय फ़िल्म जो कि पहले भी भारतीय पैनोरामा वर्ग के लिए जमा कराई गई हैं का पुर्ननिर्मित/पुर्नसंपादित संस्कारण पात्र नहीं होंगे।

घ. फ़िल्म अंग्रेजी उपशीर्षक न होने पर(फ़िल्म निर्माता कृपया सुनिश्चित कर लें कि फ़िल्मों के उपशीर्षक स्पष्ट एवं सुपाठ्य हों । उपशीर्षकों को विजुअल/बैकग्राउन्ड के साथ नहीं जोड़ा जाए । इससे ज्यूरी सदस्यों को फ़िल्म मूल्यांकन अच्छी प्रकार से कर पाने में सुविधा होगी) । बोले गये सभी शब्दों के अनिवार्य रुप से अंग्रेज़ी उपशीर्षक हों।

ड़ प्रविष्टियों को 35 एम एम प्रिन्ट, डी.सी.पी.(अनएन्क्रिपटिड, डी.सी.आई.कम्पलाइन्ट–जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम की निम्नस्तरीय क्वालिटी में उपलब्ध कराना ।

च. आवेदक की प्रविष्टि स्वतः की अयोग्य मानी जाएगी यदि आवेदक ज्यूरी सदस्यों पर किसी प्रकार का प्रभाव/सिफारिश करता है, और इस संबंध में सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

(छ) यदि किसी भारतीय फ़िल्म जिसका प्रदर्शन किसी भी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में इफ़्फ़ी से एक वर्ष से अधिक पूर्ववर्त किया गया है, अयोग्य मानी जाऐंगी।

(ज) यदि आवेदकों द्वारा जमा कराए गए घोषणापत्र पर तथ्यात्मक रूप से असत्य या गलत पाए जाते हैं, तो निदेशालय प्रविष्टि को अस्वीकार करने या यहां तक कि अंतिम चयन घोषणाओं के बाद भी फ़िल्म के चयन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे मामलों में, जहां असत्य या गलत घोषणापत्र पाए जाते हैं, आवेदक को निदेशालय द्वारा आयोजित सभी गतिविधियों में तीन वर्षों की अवधि तक भाग लेने से वर्जित कर दिया जाएगा।

7. फ़िल्म भेजने की प्रक्रिया

निर्माता निर्धारित प्रविष्टि प्रपत्र – फॉर्म आईपी–I, प्रपत्र–II, III के सहित आवेदन करें। भारतीय पैनोरामा 2017 के ऑन–लाइन प्रविष्टि प्रपत्र और विनियम निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं : www.dff.nic.in and www.iffi.nic.in

7.1 प्रत्येक प्रविष्टि प्रपत्र के साथ निम्नलिखित सामग्री भेजी जाए और इसे **entry4panorama.dff@gov.in** पर भी ई–मेल करें :

(क) फ़ीचर फ़िल्मों के स्वीकार्य स्वरूप हैं– 35 मिमी प्रिंट/डीसीपी (अनएन्क्रिपटिड डीसीआई कम्पलाईन्ट – जे2के, इंटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी–नोट : जे2के, इंटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस में)/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) दो डीवीडी प्रतिलिपियों के साथ । गैर–फ़ीचर फ़िल्मों के स्वीकार्य स्वरूप हैं– 35 मिमी प्रिंट/डीसीपी (अनएन्क्रिपटिड , डीसीआई कम्पलाईन्ट – जे2के, इंटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी–नोट : जे2के, इंटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस में)/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) या डीवी कैम दो डीवीडी प्रतिलिपियों के साथ ।

(ख) फ़िल्म का कथासार (संक्षिप्त व अधिकतम 200 शब्दों में), निर्देशक का जीवन–वृत्त तथा निर्देशक का अंग्रेजी में नोट एवं कलाकारों का विवरण

निम्नलिखित **entry4panorama.dff@gov.in** पर भी ई–मेल करें :

1.फ़िल्म की : 5–10 तस्वीरें(200– 300–डीपीआई)
2.निर्देशक की 2–4 तस्वीरें(200– 300–डीपीआई)
3.निर्माता की तस्वीरें अथवा लोगो(200– 300–डीपीआई)
4.पोस्टर

(ग) (i) आवेदक को एक घोषणापत्र जमा करना होगा, जिसमें सत्यापित किया गया हो की प्रविष्टि प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्रों में दी गई सूचना/जानकारी उसकी समझ से सत्य है, फ़ीचर फ़िल्म की 35 मिमी प्रिंट/डीसीपी (अनएन्क्रिपटिड, डीसीआई कम्पलाईन्ट, –जे2के इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी–नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस) /ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) और गैर–फ़ीचर फ़िल्म की 35 मिमी प्रिंट/डीसीपी (अनएन्क्रिपटिड, डीसीआई कम्पलाईन्ट, –जे2के इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी–नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) या डीवी कैम खंड 7.2 (क) के अनुसार अपेक्षित प्रारुप में जमा कराई गई है।

(ii) यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि फ़िल्म किसी भी अन्य फ़िल्म का डब/संशोधित/पुनर्निर्मित/पुनः संपादित संस्करण नहीं है और इससे पहले कभी जमा नहीं कराया गया है।

(iii) फ़िल्म का निर्माण समारोह से पूर्ववर्त 12 महीनों की अवधि अर्थात् 1 सितंबर, 2016 से 31 जुलाई, 2017 के दौरान हुआ है तथा इस अवधि से पहले इसका किसी भी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में प्रदर्शन नहीं किया गया है।

(iv) फ़िल्म एक फ़ीचर या गैर–फ़ीचर फ़िल्म है (भारतीय पैनोरामा विनियम की धाराओं 6.4, 6.5 और 6.6 के अनुसार)

(ड़) फ़िल्म के चयनित हो जाने पर निम्नलिखित सामग्री तुरन्त भेजी जाए :–
फ़ीचर फ़िल्म के लिए डी.सी.पी.(अनएन्क्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट –जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) और दो डीवी कापी । गैर–फ़ीचर फ़िल्म के लिए डी.सी.पी.(अनएन्क्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट–जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम और दो डीवी कापी ।

1- फ़िल्म के 3X2साइज के तीन पोस्टर ।

2- एक 3 मिनट का प्रोमो/ट्रेलर (ब्लूरे एवं दो डीवीडी)

3- संवाद/ अंग्रेज़ी उपशीर्षक सूची टाइम कोड सहित

7.3 **अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क, फ़ीचर फ़िल्मों के लिए 10,000/– रु. तथा गैर–फ़ीचर फ़िल्मों के लिए 3000/–रु. का भुगतान, ऑनलाइन प्रविष्टि पत्र के साथ अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिए।**

7.4 ऑनलाइन प्रविष्टियां जमा कराने की अंतिम तिथि 7 अगस्त, 2017 है और अपेक्षित सामग्री के साथ जमा किए गए ऑनलाइन प्रविष्टि पत्र की प्रत्यक्ष प्रतिलिपि की प्राप्ति की अंतिम तिथि 14 अगस्त, 2017 है। अगर 14 अगस्त, 2017 अवकाश का दिन घोषित किया जाता है, तो अगला कार्य दिवस प्रविष्टियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के रूप में माना जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को आवेदक के किसी भी संदर्भ के बिना अस्वीकार किया जा सकता है।

(नोट : आवेदकों द्वारा जमा कराए गए आवदेन पत्रों के दोनों संस्करण एक जैसे होने चाहिए)।

7.5 सभी प्रविष्टियां निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :–

भारतीय पैनोरामा –2017

फ़िल्म समारोह निदेशालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
सिरीफोर्ट सभागार परिसर,
अगस्त क्रांति मार्ग,
खेल गांव, नई दिल्ली – 110049
दूरभाष : 011–26499386/26497214 (फैक्स)
ई–मेल : **entry4panorama.dff@gov.in**

(सभी प्रिन्टों एवं सामग्री के सभी पैकेटों पर भारतीय पैनोरामा 2017 अंकित होना चाहिए)

7.6 फ़िल्म की प्रविष्टि तीन प्रारूपों, 35 एम एम प्रिन्ट/ डी.सी.पी.(अनएन्क्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट –जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम में से किसी एक में भेजी जा सकती है । फ़िल्मों में अंग्रेजी उपशीर्षक होना आवश्यक है । 35 एम.एम. प्रिन्ट/डीसीपी/ब्लूरे/डी वी कैम के कवर पर निम्नलिखित अवश्य अंकित करें :–

- फ़िल्म का शीर्षक
- निर्देशक का पूरा नाम
- निर्माता का पूरा नाम
- फ़िल्म की अवधि
- फ़िल्म का आस्पेक्ट रेशियो
- फ़िल्म की मूल भाषा

7.7 निदेशालय को 35 एम.एम. प्रिन्ट / डी.सी.पी.(अनएन्क्रिपटिड, डी.सी.आई.कम्पलेन्ट –जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम की निम्नस्तरीय क्वालिटी में उपलब्ध कराना और संबद्ध सामग्री भेजे जाने पर आई लागत उस व्यक्ति द्वारा वहन की जाएगी जो फ़िल्म / फ़िल्मों को प्रविष्टि के रूप में भेज रहा है ।

7.8 यदि आवेदक विनियमों के इस में उल्लिखित किन्हीं अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो उसकी प्रविष्टि को निरस्त कर दिया जाएगा ।

8. भारतीय पैनोरामा फ़िल्मों का चयन

8.1 भारतीय पैनोरामा का चयन विधिवत गठित दो निर्णायक मंडलों (एक फ़ीचर फ़िल्मों के लिए और दूसरा गैर–फ़ीचर फ़िल्मों के लिए) द्वारा किया जाएगा । निर्णायक मंडल में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय निर्माण केन्द्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल में अध्यक्ष सहित 13 एवं गैर–फीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे ।

8.2 फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल के अध्यक्ष जूरी सदस्यों में से चार पैनल बना सकते हैं । प्रत्येक पैनल अपनी देखी गई फ़िल्मों में से अधिक से अधिक 33% फ़िल्मों को पूर्ण निर्णायक मंडल के संयुक्त अवलोकन हेतु रखने की सिफारिश करेगा ।

8.3 किसी व्यक्ति को निर्णायक मंडल की सदस्यता से तभी अयोग्य माना जाएगा जब कि स्वयं उसकी फ़िल्म की प्रविष्टि हुई है । उसके निकट संबंधी की फ़िल्म प्रविष्ट होने के मामले में निर्णायक मंडल के सदस्य को उस फ़िल्म के पुर्वावलोकन में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा ।

8.3.1 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को विनियमों के अनुलग्नक आई पी IV में लिखित में इस आशय की घोषणा करनी होगी ।

8.4 समारोह निदेशक और / या उसका मनोनीत व्यक्ति निर्णायक मंडलों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे ताकि वह प्रविष्टियों के संबंध में जानकारी / स्पष्टीकरण दे सके जो निर्णायक मंडल मांगे । यद्यपि वह न तो बैठकों में हिस्सा लेंगे और न ही वोट करेंगे ।

8.5 निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा और उनके निर्णय के संबंध में किसी प्रकार की अपील या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8.6 इन विनियमों के अनुच्छेद 6.3 के प्रावधानों के होते हुए भी 64वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, 2016 के लिए चयनित सर्वोत्तम फ़ीचर फ़िल्म और सर्वोत्तम गैर–फ़ीचर फ़िल्म भी भारतीय पैनोरामा में शामिल की जाएंगी ।

9. भारतीय पैनोरामा के लिए चुनी गई फ़िल्मों की प्रिंट प्राप्त करना

9.1 भारतीय पैनोरामा के लिए फ़िल्म का चयन हो जाने पर निदेशालय को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से उसकी एक या अधिक प्रिंटें, उस कीमत पर खरीदने का अधिकार होगा जो विधायन प्रभारों तथा कच्ची सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक न हों ।

9.2 निदेशालय को प्रिंट को अंग्रेजी में या/और अन्य भाषाओं में उप–शीर्षक दिलवाने का अधिकार होगा ।

9.3 निदेशालय को यह अधिकार होगा कि वह गैर–वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रति प्रोग्रामिंग आवश्यकतानुसार विदेशी भाषा में उप–शीर्षक युक्त प्रिंट की मांग करे । भारतीय पैनोरामा 2017 के अनुच्छेद 11.2 के अनुसार निदेशालय को भारतीय पैनोरामा 2017 में चयनित फ़िल्मों के गैर–वाणिज्यिक उपयोग हेतु फ़िल्मों की एक 35एमएम प्रिन्ट/डीसीपी/डीवी कैम और डीवीडी कापी/ ब्लूरे/डीसीपी और डीवी कैम की प्रतियां बनाने का अधिकार होगा ।

9.4 निदेशालय को यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा प्रिंट को बदल दे, चाहे सब–टाइटल है या नहीं, यदि वह प्रिंट खराब प्रमाणित हो चुका है ।

9.5 भारतीय पैनोरामा के लिए फ़िल्म का चयन हो जाने की दशा में, विनियम 7.2 में उल्लिखित सभी सामग्री आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए निदेशालय द्वारा रख ली जाएगी । निदेशालय के आग्रह पर निर्माता विनियम में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न समारोहों में फ़िल्म के भाग लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रचार सामग्री की भी आपूर्ति करेगा ।

9.6 प्रपत्र आई.पी.–II में प्राधिकार प्रत्र का उपयोग परिरक्षण और संग्रहालय उपयोग के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, पुणे द्वारा किया जाएगा तथा प्रपत्र आई.पी.–III में प्राधिकार पत्रों का उपयोग भारतीय पैनोरामा के लिए फ़िल्म का चयन हो जाने पर ही निदेशालय द्वारा विनियम 11 के अनुसार उपयोग के लिए किया जाएगा ।

9.7 भारतीय पैनोरामा में चयनित फ़िल्म के निर्माता /अधिकार धारकों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 9 के सभी उपखंडों के परिपालन को सुनिश्चित करें चाहे फ़िल्म के वितरण अधिकार किसी अन्य कंपनी को बेच या स्थान्तरित क्यों न कर दिए जायें।

9.8 चयनित फ़िल्मों (फ़ीचर और गैर–फ़ीचर) को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के दौरान एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। निर्देशक और निर्माता के नामों को प्रविष्टि प्रपत्र में घोषित नामों के आधार पर आकलित किया जाएगा। नामों के बदलाव के अनुरोध पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. 35 एम.एम. प्रिन्ट/डी.सी.पी./ब्लूरे/डी वी कैम की वापसी

फ़िल्म का चयन न होने की दशा में निर्णायक मंडल की अंतिम बैठक के बाद जल्द ही फ़िल्म की 35 एम.एम. प्रिन्ट/डी.सी.पी/ब्लूरे/डी वी कैम की प्रतियां निर्माता को वापस भेज दी जाएगी । 35 एम.एम. प्रिन्ट, डी.सी.पी./ब्लूरे अथवा डी वी कैम वापस भेजने का खर्च निदेशालय द्वारा वहन किया जाएगा ।

11. भारतीय पैनोरामा फ़िल्मों का उपयोग

11.1 भारतीय पैनोरामा की फ़िल्मों का शुरू में उपयोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के भारतीय पैनोरामा वर्ग में दिखाने के लिए किया जाएगा बशर्ते कि तकनीकी या किन्हीं अन्य कारणों

से फ़िल्म को न दिखा पाने के लिए निदेशालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

11.2 भारतीय पैनोरामा के लिए चयनित फ़िल्मों में से दो फ़िल्में भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के प्रतियोगिता वर्ग हेतु नामित की जाएंगी । भारतीय पैनोरामा की फ़िल्मों का उपयोग फ़िल्म समारोह निदेशालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विवेकानुसार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों, फ़िल्म सप्ताहों, भारतीय पैनोरामा समारोहों तथा देश के अन्दर तथा बाहर अन्य गैर–वाणिज्यिक प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए भी किया जाएगा । इस प्रकार के सभी प्रदर्शनों के लिए निर्माता को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा तथापि उसे इस प्रकार के प्रदर्शनों के बारे में सूचित किया जाएगा ।

11.3 भारतीय पैनोरामा 2017 के लिए चयनित किसी निर्देशक की पहली फ़िल्म(फ़िल्मों) को भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में दिए जाने वाले 'निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फ़िल्म के शताब्दी पुरस्कार' के लिए भी विचार किया जाएगा। इस पुरस्कार में रु. 10,00,000/– नकद एवं सिल्वर पीकॉक प्रदान किया जाएगा।

11.4 राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत खरीदे गए प्रिंटों का उपयोग भारतीय पैनोरामा समारोहों को आयोजित करने के लिए किया जाएगा और इनका उपयोग किसी व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा । फ़िल्म समारोह निदेशालय तथा राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम भारतीय पैनोरामा समारोहों का आयोजन भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार करेगा ।

11.5 भारतीय पैनोरामा में चयनित फ़िल्मों (फ़ीचर और गैर–फ़ीचर) के आईएफएफआई में प्रदर्शन के लिए के लिए केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणत बोर्ड से प्रमाणीकरण की छूट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी।

12. मध्यस्थता

निर्माता तथा निदेशालय के बीच किसी भी मामले पर उत्पन्न विवाद, जो इन विनियमों के अंतर्गत न आता हो, को सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा और दोनों पक्षों को मान्य होगा । यह विवाचन उपनियम निर्णायक मंडलों के निर्णयों पर लागू नहीं होगा । निर्णायक मंडल का निर्णय फ़िल्म समारोह निदेशालय तथा भारतीय पैनोरामा के आवेदक दोनों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

QkeZ vkbZ-ih& II

jk"Vªh; fQYe lzxzgky; dh lEcU/k esa çkf/kdkj-i=

¼fofu;e 9-7 ns[ksa½

çkf/kdkj-i= ¼fuekZrk ¼vksa½ vkSj uspsfVo dh Lokeh }kjk gLrk{kfjr vkSj lEcaf/kr ç;ksx'kkyk dks lacksf/kr fd;k tkuk g½

çs"kd: fuekZrk ¼vksa½ vkSj vf/kdkj /kkjd//kkjdksa dk/dk uke vkSj irk/irs |

çfs"krh: ç;ksx'kkyk dk uke vkSj irk

fo"k; fQYe dk 'kh"kZd

egksn;

ge ,rn }kjk vkidks mijksä fQYe dh 35 ,e-,e dh ,d jsxhu fQYe ;k lkn`'; i,ftfVo fçaV cukus vkSj mlds LFkkbZ ifjj{k.k rFkk lzxzgky; mi;ksx ds fy, jk"Vªh; fQYe lzxzgky; iq.ks dks nsus dk çkf/kdkj nsrs gSa|

fçaV dh çfr cukus ds fy, vkifs{kr vko';d dPph lkexh jk"Vªh; fQYe lzxzgky; }kjk llykbZ dh tk,xh tks fo/kk;u çHkkjksa dks Hkh ç;ksx'kkyk ds lkFk lh/ks r; djsxk |

fçaV dks jk"Vªh; fQYe lzxzgky;] iq.ks dks Hksat fn;k tk, vkSj rnFkZ ges Hkh lfpr dj fn;k tk, |

(gLrk{kj)

vf/kdkj /kkjd

eqgj

(gLrk{kj)

fuekZrk

eqgj

fQYe lekjkg funs'kky; ds lEcU/k esa çkf/kdkj&i=

çkf/kdkj-i= ¼fuekZrk ¼vkns½ vkSj uxfVo dh Lokeh }kjk gLrk{kfjr vkSj lacaf/kr ç;ksx'kkyk dks lacksf/kr fd;k tkuk gS½ |

çs"kd: fuekZrk ¼vkns½ vkSj vf/kdkj /kkjd//kkjdks dk/ds uke vkSj irk/irs |

çkfIrh: ç;ksx'kkyk dk uke vkSj irk |

fo"k; : fQYe dk 'kh"kZd

ge ,rn }kjk vkidks mijksä fQYe dh 35 ,e-,e dh ,d jaxhu fQYe ;k lkmaM i,ftfVo fçaV cukus vkSj mlds n'kZ & fons'k esa vk;kftr gksus okys fQYe&lekjksg] fQYe&lIrkgksa vkSj vU; xSj&okf.kfT;d esa ekaxs yus ds fy, fQYe lekjksg funs'kky;] lapuk vkSj çlkj.k ea=ky; dks çkf/kdkj nsrs gSa |

fçaV dh çfr cukus ds fy, vkifr{kr vko';d dPph lkexzh ls lacaf/kr ,oa fo/kku çHkkjks dk fcy ;g funs'kky; ds lkFk r; djsxk |

(gLrk{kj)

vf/kdkj /kkjd

eqgj

(gLrk{kj)

fuekZrk

eqgj

çfrfyfi funs'kd]fQYe lekjksg funs'kky;] lapuk vkSj çlkj.k ea=ky;] fljhQksVZ lHkkxkj ifjlj] vxLr Økfr ekxZ] xkao] ubZ fnYyh & 110049 dks çs"kr |

(gLrk{kj)

vf/kdkj /kkjd

eqgj

(gLrk{kj)

fuekZrk

eqgj

QkeZ

çi= vkbZ-ih - IV

fofu;e

Hkkjrh; iśukjkek 2017

¼dkoy fu.kkZ;d e.My dh lnL;kssa }kjk Hkjk tkus dk fy,½

?kks"k.kk

eSa ,r}kjk ?kks"k.kk djrk/djrh gw¡ dh&

1- eSaus fQYe lekjksg funs'kky; }kjk djkbZ xbZ Hkkjrh; iśukjkek 2017 ¼ fQpj fQYe [kaM/ xSj&fQpj fQYe [kaM½ dh çfof"V;ksa dh lEiw.kZ lwph] n[k yh gS | tgka rd esjh tkudkjh gS] eSa u rks bu çfof"V;ksa ds lkFk çR;{k ;k ijks{k :i ls lac) gw vkSj u gh buds lkFk esjk dkbZ foÙkh; fgr tqMk gqvk gS |

2- eSa viuh lgefr nsrk gw dh ;fn esjh Lo;a dh fdlh fQYe dh çfof"V gksrh gS rks eSa tqjh dh lnL;rk ds v;kX; jgwxk |

3-eSa ;g Hkh ?kks"k.kk djrk gw dh ;fn esjs fudV/jä laca/kh¼tSls& iq=] iq=h] ekek/ekeh] pkpk/pkph]çFke fj'rsnkj] Hkrhtk] Hkrhth] Hkkatk] Hkkath] nknk] nknh]ekrk&firk] HkkbZ] cgu½ ;k foookg gksus ls fdlh fof'k"V fQYe ls lac/kr gksrk gS¼pkgs O;fäxr gks ;k foÙkh;½] rks eSa blds fo"k; esa tqjh LØhfuax 'kq: gksus ls igys fyf[kr esa ?kks"k.kk dj nwxk vkSj Lo;a fQYeksa ds ewY;kadu ls vyx jgwxk | eSa ;g Hkh lgefr nsrk gw dh ;fn bl fQYe ij p;u ds fy, okV gksrk gS rks esjk okV u fxuk tk, |

4- eSaus Hkkjrh; iśukjkek 2017 ls lac) fofu;eksa dks in fy;k gS vkSj eSa mudk ikyu d:xk |

5- eSa tqjh dh ppkZ dks xksiuh; j[kwxk |eq>s bl ckr dh tkudkjh gS dh ;fn eq>s xksiuh;rk cuk, j[kus dk my?ku gksrk gS rks eq>s thou Hkj ds fy, jk"Vªh; fQYe iqjLdkj] Hkkjrh; iukjek vkSj Hkkjr esa vUrjk"Vªh; fQYe lekjksg] ubZ fnYyh] esa tqjh lnL; cuus ij çfrcaf/kr dj nh; tk,xk |

ubZ fnYyh

fnukad

gLrk{kj :

uke o irk:

njHkk"k :

LFkkuh; irk :

bZ-esy :

भारतीय पैनोरामा 2017
(फिचर फिल्म vkj गैर – फिचर फिल्म के लिए जांच सूची)

1.प्रविष्टि प्रपत्र (दो प्रतियां)

2.प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा किए जाने के लिए (10000 फिचर फिल्म के लिए और 3000 गैर – फिचर फिल्म के लिए)

3.फिल्म समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (फॉर्म आई–पी III) हेतु प्राधिकार पत्र

4 घोषणापत्र 7.2(ग) के अनुसार

5 अधिनियम के खंड6.3 के योग्यता अनुसार प्रमाणपत्र / घोषणापत्र 7.2(ग)

6 प्रिंट/डीजीपी / ब्लू रे / डी वी कैम (सभी फिल्मों के अंग्रेजी उपशीर्षक होने आवश्यक है)

7 अंग्रेजी में फिल्म का कथासार (अधिकतम 500 शब्द)(प्रति भेजने के साथ इसे **entry4panorama.dff@gov.in)** पर भी ई–मेल करे)

8 निर्देशक का प्रोफाइल एवं नोट , निर्माता का प्रोफाइल फिल्म कलाकारों तथा तकनीकी सहायकों का विवरण (प्रति भेजने के साथ इसे **entry4panorama.dff@gov.in)**पर भी ई–मेल करें |

9 फिल्म के 5 तस्वीरें निर्देशक वर्किंग , 2 तस्वीरें 300 डी पी आई **entry4panorama.dff@gov.in)**पर केवल ई–मेल करें|